न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 8/2019
दायर दिनांक :— 26—02—2019
निर्णय दिनांक :— 13—08—2019

अनवान

श्री नारायण लाल पिता देवकिशन जाति पालीवाल निवासी प्रतापपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भावा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भावा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. गणेश पिता खेमराज जी कुमावत निवासी प्रतापपुरा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 3664 दिनांक 08/12/2010 जारी ग्राम पंचायत भावा

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता निगराकार
2— श्री प्रजीत तिवारी, अधिवक्ता गैर निगराकार

—: निर्णय :—

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत भावा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पटटा संख्या 3664 दिनांक 8.12.2010 को श्री गणेश पिता खेमराज कुमावत के नाम जारी किया गया है। ग्रात पंचायत द्वारा जारी पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि यह ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा अवैध एवं विधि विरूद्ध है। पट्टा जारी किया गया जो ग्राम पंचायत ने सचिव व सरपंच से मिलीभगत करके फर्जी एवं कूटरचित करके तैयार किया गया है। इस प्रकार उक्त जारीशुदा पट्टा ही फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। उक्त पट्टे की प्रति एवं पट्टा जारी करने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 06.10.2016 को ही हुई थी

जिस पर प्रार्थी ने इस पट्टे की कॉपी प्राप्त की। पट्टे की प्रति प्राप्त करने से यह भी जाहिर आया कि उक्त पट्टा सरपंच एवं सचिव ने मिली भगत करके जारी किया गया। तत्कालीन सचिव ने सारी कार्यवाही फर्जी रूप से की है। सम्पूर्ण पत्रावली बिना तारीख में कायम कर पट्टा जारी किया गया है। जिस पर सचिव के कहीं हस्ताक्षर ही नहीं है। सरपंच को विश्वास में लेकर सम्पूर्ण कार्यवाही पर बिना तारीखों में हस्ताक्षर करवा दिये और स्वयं अपने हस्ताक्षर करने से विरत रहा जो अपने आप में फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणित हो रही है। सचिव के कहीं भी पूरी पत्रावली पर यहां तक कि पट्टे पर भी हस्ताक्षर नही है। प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिससे विपक्षी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी की बेजानकारी में विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया है। प्रार्थी का मकान बना होकर इसके पास ही यह भूखण्ड है जिसके चारों तरफ प्रार्थी ने दीवार बना रखी है। प्रार्थी का ही कब्जा आधिपत्य है। इस जमीन पर प्रार्थी काबिज है तथा इस जमीन के चारों तरफ पत्थर की दीवार प्रार्थी ने बनाकर महफूज कर रखा है तथा एक मकान प्रार्थी ने इसमें निर्मित कर रखा है जो काफी पुराना है। इन सारे तथ्यों को जानते हुए भी ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर प्रार्थी के हक अधिकार को मारने की नीयत से पुरानी तारीख में यह फर्जी एवं कूटरचित पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है और फर्जीरूपेण बिना विधिक प्रकिया की पालना किये यह पट्टा जारी किया है जो विधि विरूध होकर क्षेत्राधिकार से परे है। मूलतः ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है क्योकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। इन सारे तथ्यों की जानकारी ग्राम पंचायत को होते हुए भी ग्राम पंचायत ने फर्जी एवं कूटरचित पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया है वह नियम 157 के तहत जारी किया गया है वह नियम 157 के तहत जारी किया गया है जबकि नियम 157 के तहत पुराने आबादी में बने हुए मकान में ही पट्टे जारी किये जा सकते है जबकि मौके पर कोई मकान ही नही है। बाडे का पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त पडौस व नाप का विपक्षी का कोई मकान ही नहीं है। यहां तक कि विपक्षी संख्या 2 ने उक्त पट्टे के लिये आवेदन ही नहीं किया था। आवेदन में भी फर्जीवाडा व कांटछाट कर रखी है जो कूटरचित दस्तावेज होना स्पष्ट प्रमाणित है। आवेदक के स्थान पर शपथपत्र उसके भाई का पत्रावली पर पेश है और शपथपत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर ही नही है। मोहल्ले वासियों द्वारा किसी प्रकार की अनापत्ति जारी नहीं की गयी है। पंचायत की सम्पूर्ण पत्रावली बिना तारीख में जारी की गयी है। पत्रावली पर बैठक की तारीख, प्रस्ताव, आपत्ति एवं प्रकरण निस्तारण की कोई भी तारीख अंकित नही है न ही परचे मौके पर तारीख अंकित है। आपत्ति आव्हान पर भी कोई तारीख अंकित नहीं है। केवल पट्टे पर तारीख दर्शा कर सरपंच के हस्ताक्षर से पटटा जारी किया हुआ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरपंच के सम्पूर्ण पट्टा बुक पर हस्ताक्षर करवा रखे थे और सचिव ने अपनी सुविधानुसार छपे हुए प्रफोर्म4 पर पत्रावली कायम कर अपने मनमकसूद तरीके से पट्टे जारी किये हैं। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे व ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त किया जावे ।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्रात पंचापयत भावा द्वारा श्री गणेश पिता खेमराज कुमावत को जारी पटटा संख्या 3664 दिनांक 08.12.2010 विधि अनुसार है। ग्राम पंचायत द्वारा सभी कागजी कार्यवाही पूर्ण कर पटटा दिया गया है। गैर निगराकार निरक्षर होने के कारण पटटा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर निगराकार के नही है प्रार्थना पत्र हरीश द्वारा भरा गया और उसी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या दो को जारी किया

किया गया पटटा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी जावे एंव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । यद्यपि पटटा विवादित भूखण्ड का पटटा गणेश पिता खेमराज कुमावत के नाम जारी किया गया है परन्तु प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में हरीश का नाम काट कर गणेश किया हुआ है। ग्राम पचांयत की पत्रावली में लगे शपथ पर भी हरीश के हस्ताक्षर है। परन्तु हरीश का खेमराज से कोई विवाद नहीं है। पटटाधारी निरक्षर होने से आवेदन पत्र हरीश द्वारा भरा गया हैं और उसी का नाम जगह–2 पर आ जाने से काटकर गणेश का नाम किया गया है। कब्जे तथा मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद या शंका नहीं है। केवल पट्टाधारी श्री गणेश के हस्ताक्षर के स्थान पर उसके भाई हरीश के हस्ताक्षर होना एक त्रुटी का सूचक है, जो कि पट्टा शिविर में गणेश की ओर से उसके भाई हरीश द्वारा आवेदन भरने के कारण उसके ही हस्ताक्षर हो गए। परन्तु इस सम्बन्ध में हरीश को कोई आपत्ति नहीं है। तथा निगराकार पट्टेदार के कब्जे तथा मालिकाना हक को चुनौती नहीं करके केवल प्रकिया को ही चुनौती दी गई है। इस प्रकार पट्टेदार अपनी भुमि का पट्टा बनवाने का हकदार है। परन्तु पट्टा जारी करने की मिसल में हुई अनियमितता के आधार पर इसे चुनौती दी गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी खारीज की जाती है। परन्तु प्रकरण रिमाण्ड कर ग्राम पंचायत भावा को निर्देशित किया जाता है कि पटटा संख्या 3664 की पुनः जांच कर पट्टे की मिसल में हुई अनियमितता को सुधार करे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द